'राजनीति' करता है विपक्ष

अपोजिशन पार्टियों ने आरोप लगाया है कि हेट स्पीच देने वालों को आधिकारिक स्तर पर पनाह दी जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी ने इन आरोपों पर विपक्षी दलों को घेरा है। पार्टी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां पिछले 70 साल से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं।

नीतू शाह।।

रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान देश में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस सिलसिले में 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अपोजिशन पार्टियों ने आरोप लगाया है कि हेट स्पीच देने वालों को आधिकारिक स्तर पर पनाह दी जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी ने इन आरोपों पर विपक्षी दलों को घेरा है। पार्टी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां पिछले 70 साल से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। इसी वजह से आज हालात बिगड़ रहे हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि विपक्षी दल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं। दोनों तरफ की बयानबाजी जहां एक ओर इस मुद्दे पर राजनीति की पुष्टि करती है तो दूसरी ओर इससे यह भी जाहिर होता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ने और हिंसा से कोई इनकार नहीं कर रहा। अगर इस पर दोनों ही पक्ष एकमत हैं तो उनकी ओर से एक साझा अपील होनी चाहिए। इसमें कहा जाना चाहिए कि ऐसे मुद्दों को हवा ना दी जाए, जिससे समाज में दूरी बढ़े। जमीनी स्तर पर भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता इसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ संबंधित राज्य सरकारों को हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे यह संदेश जाएगा कि नफरत बढ़ाने वालों और सांप्रदायिक हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अक्सर कहा जाता है कि कुछ बेहद छोटे और हाशिये पर पड़े संगठन धार्मिक वैमनस्यता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन संगठनों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आज हाशिये के ये संगठन नफरत को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। वे इसके लिए फेक न्यूज का भी सहारा ले रहे हैं। इन्हें रोकना होगा। यह भी याद रखना होगा कि ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक हिंसा से आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचता है।

विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है। दवा कंपनी बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ ने हाल ही में इस ओर ध्यान दिलाया था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों ने कर्नाटक में बढ़ते ध्रुवीकरण का जिक्र करके वहां की कंपनियों को अपने–अपने राज्यों में आने का न्योता दिया था। यह भले ही अलग किस्म की सियासत हो, लेकिन इसकी बुनियाद में बढ़ती सामाजिक दूरी ही है। यह भी याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास की बात कहते आए हैं। वह पहले कई बार सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने वालों को सख्त संदेश दे चुके हैं। बीजेपी में शीर्ष स्तर से फिर से यह संदेश दिया जाना चाहिए। इस बात का भी खयाल रखा जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब होती है।

सकारात्मक ऊर्जा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। एक बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी घर में सूखा हुआ मनी प्लांट न रखें। सूखा हुआ मनी प्लांट घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। इसके अलावा मनी प्लांट को घर के बाहर रखने की बजाए घर के अंदर रखना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। वहीं इस पौधे को घर के बाहर लगाया जाए तो इसका नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाता है और ये अच्छा फल देने के बजाय नुकसान करने लगता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के यहां चली जाती हैं, जिसके चलते आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे। वास्तु शास्त्र में कई तरह के उपाय बताए जाते हैं जिससे घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होने लगता है।

संपादकीय

सरकार का नजरिया साफ

केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में केंद्र सरकार का अदालत के सामने रेकॉर्ड पर क्या स्टैंड आता है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। अदालत के किसी नतीजे पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, यह नहीं कहा जा सकता लेकिन राज्य सरकारों के लिए अपने–अपने राज्य में ऐसा कोई कानून बनाने पर कोई रोक नहीं है। जैसा पहले बताया गया है कि गोवा इसका उदाहरण है, जहां पुर्तगाल सिविल कोड लागू है। वैसे कॉमन सिविल कोड को लेकर जिस तरह की भूमिका बन गई है, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसकी बिसात पर आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल खेला जाएगा। सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के बयानों के बीच विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, उस खेमे से भी बयानों का दौर शुरू हो चुका है। मसलन एक याचिका में कहा गया है कि देश भर के नागरिकों के लिए उत्तराधिकार से संबंधित नियम और आधार एक होना चाहिए। दरअसल यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर धार्मिक आधार पर गोलबंदी की भी गुंजाइश बनती है, जो वोट के नजरिए से राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा भाती है।

कॉमन सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं हैं, जिन पर केंद्र सरकार को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय शपथपत्र के जरिए अपना पक्ष साफ करना होगा।

'सुप्रीम' राय भी यह रही है

राजेश ।।

पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान आया, 'सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद–370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर फैसले हो गए हैं, अब बारी कॉमन सिविल कोड की है।' उनके इस बयान से पहले उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और यूपी से भी इससे मिलता–जुलता बयान आ चुका है। कॉमन सिविल कोड को लेकर जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा है, उससे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का अजेंडा सेट हो चुका है। कॉमन सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं हैं, जिन पर केंद्र सरकार को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय शपथपत्र के जरिए अपना पक्ष साफ करना होगा। राम मंदिर और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर अदालत में केंद्र सरकार पक्षकार भी नहीं थी, लेकिन कॉमन सिविल कोड में तो सरकार पक्षकार भी है। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए इस मामले में आगे बढ़ना ज्यादा आसान होगा।

अभी तक देश में अलग–अलग धर्मों के लिए अपने–अपने पर्सनल लॉ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह अर्थात चार निकाह करने की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में 'एक पति–एक पत्नी' का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। विवाह की न्यूनतम उम्र भी सबके लिए एक समान नहीं है।

मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है, माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह योग्य मान लिया जाता है। अन्य धर्मों में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़की की शादी होती है तो वह शादी अमान्य नहीं बल्कि अमान्य करार दिए जाने योग्य है। मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत और दान मान्य हैं, लेकिन अन्य धर्मों में केवल पंजीकृत वसीयत और दान ही मान्य हैं। उत्तराधिकार के नियम भी अलग–अलग धर्मों में अलग–अलग हैं। विवाह विच्छेद का आधार भी सबके लिए एक समान नहीं है। गोद लेने का नियम भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग–अलग है।

1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अत्यधिक दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है। 1995 में सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी? 2017 में फटाफट तीन तलाक से संबंधित शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भारत सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। वहीं 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जोस पाउलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के लिए अभी तक कारगर प्रयास नहीं किया गया। तत्कालीन जस्टिस दीपक गुप्ता की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि गोवा बेहतरीन उदाहरण है। वहां पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है जिसके तहत उत्तराधिकार और विरासत का नियम लागू है। दरअसल अनुच्छेद–44 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह बात कही गई है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड होगा और देश भर में इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कॉमन सिविल कोड लागू करने की सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका नहीं है, लेकिन 2019 से लेकर अब तक पांच ऐसी याचिकाएं लंबित हैं जो किसी न किसी रूप में कॉमन सिविल कोड से जुड़ी हैं।

अष्टयोग- 5109

4	2		3	5	1	
2	32	4	39	7	34	4
	1		4		5	2
	30	3	38	6	31	
1	2		6		7	
3	27	2	25	1	31	
	6	1	4		3	5

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5108 का हल

7	6	1	4	2	3	5
2	28	4	33	7	35	4
1	2	5	6	4	7	3
5	28	3	38	6	34	1
4	2	6	3	5	1	7
3	31	2	31	1	30	6
6	1	7	4	3	5	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

हर गली–नुक्कड़ में रामलीलाओं का मंचन

मोहन। क्या आपने गौर किया है कि कोई फिल्म आपको कितनी भी अच्छी क्यों न लगती हो लेकिन आप एक से दूसरी, तीसरी बार देखने पर उससे भी ऊबने लगते हैं। एक बार थिएटर से फिल्म उतर जाती है तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो दोबारा रिलीज हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक–एक घटना से परिचित होने के बावजूद, एक–एक अध्याय जानने के बावजूद, क्यों हर साल देश के हर गली–नुक्कड़ में रामलीलाओं का मंचन होता है। वो हर साल पूरे देश में उसी उत्साह से रिलीज हो जाती है! क्या वजह है कि एक समाज के तौर पर हम आज भी उससे बोर नहीं होते। उससे ऊबते नहीं है। वो आज भी ताजा भी उतनी ही ताजा बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि रामायण में किसी 'टारगेट ऑडियंस' को खुश करने की कोशिश नही की गई। उसमें जनता को उत्तेजित करने के लिए कोई झूठ नहीं बुना गया। समाज अगर यूं ही 'लोकप्रिय इंसाफ' की तरफ बढ़ता रहा तो अगला बुलडोजर अदालत पर चलेगा!